

न्यूज़ टुडे

नेस्ले मामले में फैसले के मद्देनजर स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ कर संधि के तहत "मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)" का दर्जा निलंबित कर दिया है

1 जनवरी, 2025 से स्विट्जरलैंड भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में MFN क्लॉज को निलंबित कर देगा।

- सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि भारत ने किसी देश के साथ टैक्स का समझौता उस देश के OECD में शामिल होने से पहले किया है, तो MFN क्लॉज स्वतः लागू नहीं होगा।
- DTAA की अधिसूचना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी देश के साथ DTAA तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक इसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अधिसूचित न किया जाए।
- भारत-स्विट्जरलैंड DTAA: यह कर संधि 1994 में लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य आय पर दोहरे कराधान से बचाव करना था।

MFN क्लॉज के निलंबन के प्रभाव

- भारतीय कंपनियों पर कर का बोझ बढ़ेगा: भारतीय कंपनियों के लिए स्विट्जरलैंड में अर्जित लाभांश पर विद्वहोलिंग टैक्स 5% से बढ़कर 10% हो जाएगा।
- भारत में स्विस निवेश पर प्रभाव: भारत-स्विट्जरलैंड DTAA के अनुसार, अब भारत से लाभांश प्राप्त करने वाली स्विस कंपनियों पर भी 10% की दर से विद्वहोलिंग टैक्स लगेगा।
- अन्य देशों द्वारा MFN क्लॉज का पुनर्मूल्यांकन: भारत के साथ किए गए कर समझौतों में MFN क्लॉज के प्रभाव और लागू होने के तरीके को लेकर अन्य देशों द्वारा पुनर्विचार की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
- अन्य प्रभाव: MFN क्लॉज का निलंबन मुख्य रूप से लाभांश पर टैक्स रेट से संबंधित है। इसलिए DTAA से संबंधित अन्य लाभों या EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संधि) निवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) के बारे में

- परिभाषा: MFN सिद्धांत के अनुसार, किसी WTO सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को दी गई अनुकूल व्यापार शर्तें, WTO के अन्य सभी सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिए।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता को बढ़ावा देना, व्यापार में भेदभाव को रोकना और सभी सदस्यों के साथ समान रूप से व्यवहार सुनिश्चित करना।
- जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) के अनुच्छेद 2 और ट्रेड-रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS/ ट्रिप्स) समझौते के अनुच्छेद 4 में मोस्ट फेवर्ड नेशन को प्राथमिकता दी गई है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक तीन गुनी हो जाएगी

परमाणु ऊर्जा विभाग के "विजन डॉक्यूमेंट फॉर अमृत काल" में 2047 तक परमाणु क्षमता को लगभग 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

- 2022-23 में भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3% था। इस प्रकार यह देश में बिजली उत्पादन का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।
- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NPCIL) वर्तमान में 7 परमाणु संयंत्रों में 24 रिपक्टर संचालित करता है। इन रिपक्टरों की कुल क्षमता 8,180 मेगावाट (MW) है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है?

- ऊर्जा की बढ़ती मांग: बढ़ती जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत इस दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
- सीमित जीवाश्म ईंधन: कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए आयात पर निर्भरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के समक्ष एक बड़ा एक जोखिम है।
- पर्यावरणीय लाभ: बिजली उत्पादन के लिए कोयले की जगह परमाणु ऊर्जा के उपयोग से प्रति यूनिट बिजली उत्पादन पर 1 किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन की बचत होगी। साथ ही, इससे भारत को 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जक बनने में मदद मिल सकती है।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चिंताएं

- कच्चा माल: यूरेनियम भंडार की कमी और आयात पर निर्भरता के कारण परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार बाधित होता है।
- शुरू में बहुत अधिक लागत: कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों की तुलना में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में शुरू में पूंजीगत लागत अधिक आती है।
- रेडियोधर्मी अपशिष्ट: रेडियोधर्मी अपशिष्ट का दीर्घकालिक भंडारण और निपटान एक जटिल समस्या है। इसके अलावा, चेर्नोबिल जैसी घटनाओं के कारण, जनता में रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रति अधिक डर बना रहता है।

परमाणु ऊर्जा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- तमिलनाडु के कलपक्कम में यूरेनियम-233 का उपयोग करते हुए विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र "भवनी" स्थापित किया जा रहा है।
- परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015: यह NPCIL को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार हेतु धन जुटाने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाता है।
- भारत का 3-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
 - ⊙ चरण-I:
 - ◆ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिपक्टर (PHWR):
 - » ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम (Natural Uranium) का उपयोग।
 - » मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में हैवी वाटर/ भारी पानी (D₂O) का उपयोग।
 - » प्लूटोनियम-239 का उत्पादन।
 - ⊙ चरण-II:
 - ◆ फास्ट ब्रीडर रिपक्टर (FBR):
 - » पहले चरण से प्राप्त यूरेनियम-238 और प्लूटोनियम-239 का उपयोग।
 - ⊙ चरण-III:
 - ◆ एडवांस्ड हैवी वाटर रिपक्टर (AHWR):
 - » ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग।

केंद्र सरकार ने 'अंतर्देशीय जलमार्ग' को बढ़ावा देने के लिए "जलवाहक" योजना का शुभारंभ किया

"जलवाहक" योजना का उद्देश्य लागत प्रभावी तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की सुरक्षित और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करना तथा व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

साथ ही, इस योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1, NW-2 और NW-16 पर संधारणीय एवं लागत प्रभावी परिवहन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा।

"जलवाहक" योजना के बारे में

मंत्रालय: केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

इस योजना को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (ICSL) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।

उद्देश्य: जलवाहक योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क और रेल मार्ग के बजाए माल ढुलाई के लिए जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, 800 मिलियन टन किलोमीटर की मोडाल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए 95.4 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

समय सीमा: यह योजना शुरू में 3 वर्ष के लिए आरंभ की गई है।

रूट यानी प्रमुख मार्ग: योजना के तहत, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मार्गों पर निश्चित दिनों पर नौकायन सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए प्रमुख मार्ग निम्नलिखित हैं:

- ⊕ NW-1: कोलकाता-पटना-वाराणसी-पटना-कोलकाता खंड के बीच,
- ⊕ NW-2: कोलकाता और गुवाहाटी में पांडु के बीच, तथा
- ⊕ NW-16: इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR) के माध्यम से कार्गो संचालन।

प्रोत्साहन: इस योजना के तहत, कार्गो को जलमार्ग से ढोने पर होने वाले कुल खर्च का 35 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

मानदंड: योजना के तहत उन व्यापारिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके माल का परिवहन करती हैं।

योजना का महत्त्व:

- ⊕ लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी,
- ⊕ सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़ कम होगी, और
- ⊕ संधारणीयता को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग

राष्ट्रीय जलमार्ग: देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) घोषित किया गया है।

कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग हैं- NW-1 (हल्द्वी-इलाहाबाद गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर), NW-2 (धुबरी-सदिया ब्रह्मपुत्र नदी पर), NW-16 (बराक नदी), अन्य।

संस्थागत संरचना: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसे IWAI अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित किया गया है।

मोल्दोवा ने 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) फ्रेमवर्क समझौता' पर हस्ताक्षर किए

ISA फ्रेमवर्क समझौता 2017 में लागू हुआ था। 2020 में ISA फ्रेमवर्क समझौते में एक संशोधन किया गया था, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य बनने के लिए पात्र हो गए।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में

इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है।

उत्पत्ति: इसकी घोषणा 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC COP-21 के दौरान की गई थी। यह भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।

उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तालमेल बिठाना है।

मिशन: इस पहल को 'टुवर्ड्स 1000' रणनीति मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस रणनीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- ⊕ 2030 तक सौर ऊर्जा के लिए 1,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना;
- ⊕ 1,000 मिलियन (1 बिलियन) लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना; तथा
- ⊕ 1,000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।

ISA असेंबली: यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह ISA के फ्रेमवर्क समझौते को दिशा देने और उसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सदस्य: अब तक 120 देश इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 104 देश इसकी अभिपुष्टि करने के पश्चात् इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महत्त्व

इस पहल के जरिए लघु और मध्यम आकार के सोलर फार्म को वित्त-पोषण और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। इस तरह इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद मिलती है तथा संधारणीय सौर ऊर्जा आधारित कूलिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है।

इसमें वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को प्रति वर्ष 1000 मिलियन टन तक कम करने की क्षमता है।

यह पहल ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

यह पहल लागत-प्रभावी और सहयोगी विकास मॉडल के माध्यम से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी, जिससे वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार का निर्माण सुनिश्चित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें

स्कैलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव यूज (SSAAU): इसका उद्देश्य सोलर वाटर पंपों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

ISA CARES: इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इनोवेटिव और विश्वसनीय सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करना है।

हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स को सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्यक्रम: इसका उद्देश्य सदस्य देशों में वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों की बढ़ती हीटिंग और कूलिंग मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करना है।

ग्लोबल सोलर फैसिलिटी: COP-27 में शुरू की गई ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का उद्देश्य अफ्रीका के उन हिस्सों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जहां अभी तक सौर ऊर्जा का ज्यादा विकास नहीं हुआ है।

RBI ने बिना किसी गिरवी या जमानत के कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई

RBI के इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय पहुंच प्रदान करना है। इससे किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे खेती-बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों और अन्य विकासवात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एवं आसानी से ऋण मिल सकेगा।

बैंकों को दिए गए प्रमुख निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित जमानत-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को प्रति ऋणी मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
- इन संशोधित निर्देशों को 1 जनवरी, 2025 से लागू करने की सिफारिश की गई है, ताकि किसानों को शीघ्र वित्तीय सहायता मिले।
- बैंकों को कहा गया है कि वे किसानों और अन्य हितधारकों को इन नए निर्देशों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।

ऋण की सीमा में वृद्धि का महत्व

- ऋण की उपलब्धता में वृद्धि: इससे विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्रक में लघु एवं सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 86% से अधिक है।
- ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना: ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाकर KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: इससे ग्रामीण कृषक समुदाय तक औपचारिक वित्तीय पहुंच का विस्तार होगा तथा ऋण-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे संभारणीय कृषि के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करने में भी मदद मिलेगी।

कृषि हेतु ऋण से जुड़े प्रमुख मुद्दे: इसमें अल्पकालिक फसल ऋणों पर पर्याप्त ध्यान न देना, ऋण माफी के कारण बढ़ता राजकोषीय बोझ, गैर-संस्थागत ऋण पर अत्यधिक निर्भरता आदि शामिल हैं।

कृषि क्षेत्रक में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अन्य पहलें

- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS):** जमीनी स्तर पर सहकारी ऋण समितियों को बढ़ावा देने हेतु।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:** इसका उद्देश्य किसानों को उनके कृषि संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है।
- संशोधित ब्याज अनुदान योजना:** इसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराना है।

यूनाइटेड किंगडम 'काँप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP)' में शामिल हुआ

CPTPP इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक व्यापार समूह है। यूनाइटेड किंगडम (UK) इस व्यापार समूह में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है।

- गौरतलब है कि 2023 में CPTPP के पक्षकारों और यूनाइटेड किंगडम के बीच सदस्यता प्राप्ति प्रोटोकॉल यानी एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे CPTPP में यूनाइटेड किंगडम के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

CPTPP के बारे में

- उत्पत्ति:** यह प्रशांत क्षेत्र का एक मुक्त व्यापार समझौता है। इस पर मार्च, 2018 में चिली के सैंटियागो में मूल रूप से 11 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय इसे ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) का नाम दिया गया था। वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका TPP से अलग हो गया।
- बाद में शेष बचे सदस्य देशों ने एक अलग CPTPP पर समझौता किया और इसमें TPP के प्रावधानों को शामिल किया गया। इसके बाद 30 दिसंबर, 2018 को CPTPP लागू हुआ।
- सदस्य:** यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर इसमें कुल 12 सदस्य देश शामिल हैं। इसके अन्य सदस्य हैं- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम।
- महत्व:** इसके सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वैश्विक GDP का लगभग 15% है। यह ट्रेड ब्लॉक अपने सदस्य देशों के उत्पादों को 500 मिलियन से अधिक लोगों वाले विशाल बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।

भारत के लिए CPTPP जैसे बहुपक्षीय व्यापार समूहों का महत्व

- हाल ही में, नीति आयोग के CEO ने भारत को CPTPP और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे व्यापार समूहों में शामिल होने का समर्थन किया है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:
- आर्थिक अवसर:** ये व्यापार समूह भारत को नए बाजारों में प्रवेश का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये "चाइना प्लस वन" रणनीति से लाभ उठाने में भी मदद कर सकते हैं।
- निर्यात के लिए विशाल बाजार:** ये व्यापार समूह अपने सदस्य देशों के आयात पर कम टैरिफ लगाते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को भी कम टैरिफ पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विस्तृत बाजार में प्रवेश का अवसर मिल जाएगा। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- इसका सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक को मिलेगा, क्योंकि भारत के निर्यात में इनकी हिस्सेदारी लगभग 40% है।

अन्य सुर्खियां



"क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" पहल

हाल ही में भारत-ईरान-आर्मेनिया के बीच लिपक्षीय परामर्श वार्ता संपन्न हुई।

- इस वार्ता के दौरान आर्मेनिया के प्रतिनिधियों ने अपनी कनेक्टिविटी पहल, "क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" के बारे में जानकारी दी।

"क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" पहल के बारे में

- यह एक महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इसका उद्देश्य आर्मेनिया को उसके पड़ोसी देशों से अलग-अलग कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ना है।
- आर्मेनिया के पड़ोसी देश हैं- तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया।
- उद्देश्य: इन देशों के बीच सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, केबल और बिजली लाइन जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का विकास और उनमें सुधार करना है। इससे इन देशों के बीच वस्तुओं, ऊर्जा और यात्रियों की सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस पहल का उद्देश्य कैस्पियन सागर को भूमध्य सागर से और फारस की खाड़ी को काला सागर से आसान और अधिक दक्ष परिवहन लिंक के माध्यम से जोड़ना है।



मैंगनीज (Mn)

वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पानी में मैंगनीज (Mn) संदूषण की वजह से बिहार राज्य में गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों में कैंसर हो रहा है।

मैंगनीज (Mn) के बारे में

- पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं की सूची में मैंगनीज का पांचवां स्थान है। यह मुख्यतः ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट के रूप में पाई जाती है।
- मैंगनीज इस्पात बनाने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है।
- यह भोजन, जल, मृदा और चट्टान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घटक के रूप में मौजूद है।
- यह एक 'एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट' है जो शरीर के होमियोस्टैसिस (आंतरिक संतुलन) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसकी उच्च मात्रा मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
- भूजल में Mn संदूषण का स्रोत:**
 - मानवजनित: औद्योगिक प्रदूषण
 - जियोजेनिक: Mn का तलछटी या आग्नेय चट्टानों में जमाव।



डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास 2024

भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अरब सागर के ऊपर “डेजर्ट नाइट” युद्धाभ्यास आयोजित किया।

डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास के बारे में

- यह लिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास है। इसका उद्देश्य जटिल युद्ध स्थितियों में तीनों देशों की वायु सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने का अभ्यास करना था।
- इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना (IAF) के सुखोई-30MKI और जगुआर जैसे विमानों ने भाग लिया।
- फ्रांसीसी राफेल जेट और UAE के F-16 लड़ाकू विमानों को UAE के अल धफरा एयरबेस पर तैनात किया गया था।
- यह युद्धाभ्यास इंडो-पैसिफिक और फारस की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में तीनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा।



बिरहोर जनजाति

झारखंड की बिरहोर जनजाति पहली बार बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में सम्मिलित हुई।

बिरहोर जनजाति के बारे में

- यह जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में सूचीबद्ध है। यह एक अर्ध-घुमंतू जनजातीय समुदाय है। इसके अधिकतर सदस्य भरण-पोषण के लिए मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं।
- यह जनजाति बिरहोर भाषा बोलती है, जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की भाषाओं के मुंडा समूह से संबंधित है।
- इनकी भाषा संताली, मुंडारी और हो भाषा से मिलती-जुलती है।
- यह जनजाति झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।



डिजीज एक्स (Disease X)

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले एक रहस्यमयी रोग के कारण डिजीज एक्स के खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है।

डिजीज एक्स के बारे में

- यह एक काल्पनिक रोग को संदर्भित करता है। इसमें एक ऐसा अज्ञात रोगजनक होता है जिसमें वैश्विक महामारी पैदा करने की क्षमता होती है।
- डिजीज एक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 में प्राथमिकता वाले रोग की सूची में शामिल किया था। यह सूची उभरती बीमारियों के जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार की गई है।
- कोविड-19 को डिजीज एक्स का पहला उदाहरण माना जाता है।

डिजीज एक्स का अनुमान लगाने से जुड़ी चुनौतियां

- अत्यंत जटिल उद्भव: जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध, जैविक हथियारों का खतरा, प्रयोगशालाओं में दुर्घटनावश संक्रमण फैलना, आदि।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वेक्टर जनित रोगों, विशेष रूप से मलेरिया के भौगोलिक दायरे में परिवर्तन हो रहा है।



चिडो चक्रवात (Cyclone Chido)

मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रांत की राजधानी पेम्बा और फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र ‘मायोट’ में ‘चिडो’ चक्रवात का लैंडफॉल हुआ।

चिडो चक्रवात के बारे में

- चक्रवात कम वायुदाब वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के दौरान वायु परिसंचरण तेज और प्रबल हो जाता है। ये हवाएं कई बार विनाशकारी साबित होती हैं।
- उष्णकटिबंधीय विक्षोभ चिडो दक्षिण-पूर्वी हिंद महासागर बेसिन में उत्पन्न हुआ था।
- चक्रवात चिडो पिछले 90 वर्षों में मायोट द्वीप पर आने वाला सर्वाधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।
- इसे श्रेणी-4 के चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस श्रेणी के चक्रवात में हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या 136 मील प्रति घंटे से अधिक होती है।

चक्रवातों की अन्य श्रेणियां

- श्रेणी-1: हवा की गति 120-150 कि.मी./घंटा;
- श्रेणी-2: हवा की गति 150-180 कि.मी./घंटा;
- श्रेणी-3: हवा की गति 180-210 कि.मी./घंटा; और
- श्रेणी-5: हवा की गति 250 कि.मी./घंटा और उससे अधिक।



डायमंड कूलिंग

हाल ही में, एक प्रतिष्ठित क्लाउड प्रोवाइडर फर्म ने AI हेतु डायमंड कूलिंग सिस्टम के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

डायमंड कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में

- आकाश सिस्टम्स द्वारा विकसित इस नवीनतम सेमीकंडक्टर चिप में 2200 W/mK की उच्च थर्मल चालकता वाला सिंथेटिक डायमंड एकीकृत किया गया है। यह उच्च थर्मल चालकता चिप को अधिक कुशलता से ठंडा रखने में मदद करती है।
- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) चिप्स से हीट को कम करना,
 - थर्मल थ्रॉटलिंग को कम करना, और
 - चिप्स की ओवरक्लॉकिंग क्षमताओं को 25% तक बढ़ाना।
- इसके निम्नलिखित फायदे हैं:
 - यह ऊर्जा दक्षता में सुधार करती है,
 - GPU हॉटस्पॉट तापमान को 10°-20°C तक कम करती है,
 - पंखे की ऊर्जा खपत में 90% तक कमी लाती है, और
 - डेटा सेंटर में संधारणीयता को बढ़ावा देती है।



केच जलडमरूमध्य या केच स्ट्रेट

हाल ही में, तूफान की वजह एक रूसी टैंकर टूट गया। इससे केच स्ट्रेट जलमार्ग में तेल का रिसाव हो गया।

- दो भूखंडों के बीच के संकरे जलमार्ग को स्ट्रेट यानी जलडमरूमध्य कहा जाता है। इस तरह का जलमार्ग दो बड़े जल निकायों, जैसे कि दो सागरों को जोड़ता है।
- केच स्ट्रेट के बारे में
 - अवस्थिति: यह क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। यह काला सागर और आज़ोव सागर को जोड़ता है।
 - महत्व: इसी जलडमरूमध्य के माध्यम से रूस में उत्पादित अनाज, कच्चे तेल, ईंधन, LNG आदि का मुख्य रूप से निर्यात होता है।



चरक/ CHARAK (कम्युनिटी हेल्थ: ए रेस्पॉसिव एक्शन फॉर कोयलांचल) पहल

कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में, कोल इंडिया की सिंगरौली स्थित शाखा नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ‘चरक’ पहल का शुभारंभ किया है।

चरक पहल के बारे में

- इसका उद्देश्य सिंगरौली क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उन रोगियों का मुफ्त में इलाज करना है, जो चिन्हित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं।
- इसके अंतर्गत कैसरजनक स्थिति, टीबी और संबंधित जटिलताएं, HIV और उससे संबंधित जटिलताएं, अंग प्रत्यारोपण, तंत्रिका संबंधी विकार, संयोजी ऊतक विकार आदि शामिल हैं।
- सिंगरौली कोयला क्षेत्र के बारे में
 - यह क्षेत्र मध्य भारत में सोन महानदी मास्टर बेसिन के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है।
 - इसका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पड़ता है और एक छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है।



फेशन और निर्माण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नई दिशा देने की पहल

हाल ही में भारत ने सात अन्य देशों के साथ मिलकर फैशन और निर्माण उद्योगों के लिए एक नई पहल शुरू की है।

नई पहल के बारे में

- इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित “आपूर्ति श्रृंखलाओं से खतरनाक रसायनों को खत्म करने के लिए एकीकृत कार्यक्रम” से फंड प्राप्त होगा।
- यह 6 साल का कार्यक्रम है।
- पहल के सदस्य: कंबोडिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू तथा ब्रिनिदाद एंड टोबैगो।
- उद्देश्य: आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार लाकर फैशन (वस्त्र) और निर्माण उद्योगों को बदलना, ताकि इन क्षेत्रों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।
- यह पहल निम्नलिखित प्रयासों को बढ़ावा देगी:
 - ◆ रिजेनेरेटिव डिजाइन,
 - ◆ गैर-नवीकरणीय सामग्रियों की जगह नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग;
 - ◆ उत्पादन में संसाधन दक्षता।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची